इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 639] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2022—पौष 1, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 22—02/2019/आठ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022—23 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जायेंगे को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुये दी जायेगी, अर्थात् :—

1. ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022—23 में गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों को, मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2. विक्रित वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर में स्थाई पंजीयन कराने पर ही छूट दी जायेगी।

3. ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।

No. F 22-02/2019/VIII - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides exemption of 50% on rate of Life Time Tax payable on such non-transport vehicles and Small (Light) transport vehicles, which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela during the period of year 2022-23. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions, namely:-

1. Non-transport vehicles and small (light) transport vehicles sold in the Gwalior Trade Fair year 2022-23 during the fair period shall be given 50% exemption in Life Time Tax.

2. Exemption shall be given only on permanent registration of sold vehicles in Regional Transport Office Gwalior.

3. Automobile dealers coming from outside of Gwalior shall be allowed to sell vehicles only after obtaining Trade Certificate from Regional Transport Office, Gwalior and ensuring their physical presence in fair premises in Gwalior .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.